प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीकांत पाण्डेय उर्फ कुन्जू पाण्डेय पुत्र श्री अछैवर पाण्डेय, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीकांत पाण्डेय उर्फ कुन्जू पाण्डेय पुत्र श्री अछैवर पाण्डेय, जो-डीहा, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-651/2008 व 653/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 आईपीसी एवं 5 वि०प०अधि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, आजमगढ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 06 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रजनीकान्त पाण्डेय उर्फ कुन्जू पाण्डेय पुत्र श्री अछैवर पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीकान्त पाण्डेय उर्फ कुन्जू पाण्डेय (बन्दी संख्या-52/2023) पुत्र श्री अछैवर पाण्डेय, निवासी जनपद-आजमगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-602/2025/3761(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीर नगर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-602/2025/3761/22-2-2023-17(1348)/2023

दिनांक 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीकांत पाण्डेय उर्फ कुन्जू पाण्डेय पुत्र श्री अछैवर पाण्डेय, जो-डीहा, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-651/2008 व 653/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 आईपीसी एवं 5 वि०प०अधि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, आजमगढ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 06 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रजनीकान्त पाण्डेय उर्फ कुन्जू पाण्डेय पुत्र श्री अछैवर पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in